

# कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

## --:: मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना ::--


क्रमांक/कार्य.अभि./लोक कर्म/निविदा/2021/386 धमतरी, दिनांक 18/08/2021

01. निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि-4/9/2021 कार्यालयीन समयावधि तक
02. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि -7/9/2021 कार्यालयीन समयावधि तक।
03. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि -14/9/2021 कार्यालयीन समयावधि तक।
04. निविदा खोलने की तिथि -15/9/2021 समय प्रातः 11:30 बजे।

नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा वर्ष 2021-22 में विभिन्न निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी (डी एवं उच्च वर्ग) में पंजीकृत ठेकेदारों/अधिकृत विक्रेताओं से निविदा प्रपत्र "बी" में सामाग्रीवार निविदा दरे प्रति नग/प्रति किलो/प्रति घनमीटर आदि में मैन्युअल निविदा आमंत्रित की जाती है -


क्रं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	अमानत राशि	कार्य की अवधि
01	02	03	04	05	06
01.	लोककर्म विभाग में आवश्यक विभिन्न निर्माण सामाग्री प्रदाय कार्य	20.00	750.00	60000.00	अनुबंध तिथि से 01 वर्ष

उपरोक्त कार्य/सामाग्रियों से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा शर्तें कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा कक्ष क्रं. 19 से प्राप्त की जा सकती है, विभागीय वेबसाइट [www.nagarnigamdhamtari.com](http://www.nagarnigamdhamtari.com) तथा [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) में अवलोकन एवं डाउनलोड भी की जा सकती है।

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम धमतरी  
धमतरी, दिनांक 18/08/2021

पृ.क्रमांक/कार्य.अभि./लोक कर्म/निविदा/2021/387  
प्रतिलिपि -

01. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम धमतरी।
02. माननीय अध्यक्ष (स्पीकर), नगर पालिक निगम धमतरी।
03. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी।
04. प्रभारी सदस्य, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग, नगर पालिक निगम धमतरी।
05. कार्यालय कलेक्टर, जिला - धमतरी।
06. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), धमतरी।
07. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
08. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना फलक में चस्पा करने हेतु।
09. ग्रंथपाल, नगर पालिक निगम धमतरी को प्रकाशन पश्चात निविदा सूचना का पेपर कतरन प्रस्तुत करने हेतु।
10. डाटा सेन्टर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट में अपलोड करें तथा डाटा सेन्टर रायपुर को भेजें।
11. संपादक, प्रतिनिधि, दैनिक पत्रिका - पत्रिका समाचार पत्र को 2X8 सॉ.मी. साईज में उपरोक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने तथा प्रकाशन उपरांत विज्ञापन सहित अखबार 02 सेट में तत्काल लोक कर्म शाखा में प्रस्तुत किये जाने हेतु।

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम धमतरी

# कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

-:: मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक .....326..... दिनांक 12.08.21 तहत वर्ष 2021-22 में विभिन्न आवश्यक निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए नियम एवं निविदा शर्त :-

01. नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 326. दिनांक 12.08.21... तहत विज्ञापित कार्य के लिए निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों/ठेकेदारों/फर्मों का लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ही ठेकेदारी का पंजीयन/सामग्री का अधिकृत विक्रेता होना अनिवार्य हैं।
02. विज्ञापित कार्य की निविदा में भाग लेने, निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 04.09.21... को कार्यालयीन समयावधि सायं 05.30 बजे तक निम्नांकित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा में जमा करना अनिवार्य है -
  01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)/सामग्री का अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण-पत्र।
  02. कार्य की निविदा लागत के कम से कम 15 प्रतिशत लागत राशि के बराबर या अधिक राशि का बैंक साल्वेंसी सर्टिफिकेट (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)
  03. पेन कार्ड, विगत 03 वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20) का आयकर रिटर्न।
  04. शासन नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन प्रमाण पत्र।
  05. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीयन प्रमाण पत्र।
  06. 50.00 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र/आवेदन में आवेदक फर्म के संबंध में उल्लेखित जानकारी सत्य होने, दस्तावेज प्रमाणित होने, किसी भी विभाग की काली सूची में दर्ज या डिबार नहीं होने एवं नगर पालिक निगम धमतरी में निकटतम रिश्तेदार कार्यरत नहीं होने की जानकारी सत्य होने का नोटरियल शपथ पत्र।

उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आर्हता को पूर्ण करने वाले निविदाकर ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उन्हें कार्य के लिए निविदा प्रपत्र जारी किया जायेगा। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कभी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

जिन ठेकेदारों/फर्मों को निगम के कार्यों के लिए आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन या निविदा प्रपत्र जारी करने या निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन या निविदा प्रपत्र जारी करने या निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।

03. निर्धारित तिथि/समयावधि के उपरांत निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जायेंगे और न ही प्राप्त निविदा पर विचार किये जायेंगे।
04. निविदा प्रपत्र क्रय हेतु निर्धारित शुल्क नगद/शासन नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट (जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी के नाम देय हो) द्वारा निर्धारित तिथि/समयावधि में ही जमा करना अनिवार्य होगा।
05. विज्ञापित कार्य (सामग्रियों की आपूर्ति) के लिए निर्धारित अमानत राशि का एफ.डी.आर. (जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी के नाम से देय हो) जमा करना अनिवार्य होगा। एफ.डी.आर. का फोटो कापी मान्य नहीं होगा/समायोजन मान्य नहीं होगा।

06. विज्ञापित कार्य (सामाग्रियों की आपूर्ति) के लिए निविदा 03 लिफाफे में (निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि पृथक-पृथक लिफाफे में एवं इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर) स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित तिथि 14.09.21 को कार्यालयीन समयावधि सायं 05.30 बजे तक जमा करना होगा। अन्य शीति से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। कार्य के लिए निर्धारित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा/प्रेषित करना अनिवार्य है। नकद राशि स्वीकार नहीं किया जावेगा।
07. निविदा खोलने की कार्यवाही दौरान मूल निविदा एवं अमानत राशि जमा वाला लिफाफे में से प्रथमतः अमानत राशि जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा पाये जाने के उपरांत ही मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित अमानत राशि जमा नहीं पाये जाने पर मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा नहीं खोला जायेगा तथा संबंधित निविदाकर्ता का जमा/प्राप्त निविदा निरस्त माना जायेगा।
08. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा। अनुबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य पर नियोजित श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान करना होगा।
09. विज्ञापित कार्य (सामाग्रियों की आपूर्ति) की निविदा में भाग लेने वाले किसी भी ठेकेदार द्वारा निविदा की प्रस्तुती यह विवक्षित करती है कि उसने निविदा की सूचना एवं समस्त शर्तों तथा अन्य संविदा दस्तावेजों को पढ़ लिया है एवं इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1970, भारतीय मानकों किये जाने वाले कार्य के क्षेत्र विनिर्देश, मानक एवं प्रक्रिया के संबंध में स्वयं को सतर्क कर लिया है। स्वयं की पहुंच से कार्य स्थल आदि की जाँच कर ली है एवं स्वयं को स्थल के कार्य आदि की उपयुक्तता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है तथा स्वयं को खदानों पर सामाग्री की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है।
10. निविदा सूचना पत्र/एन.आई.टी. की सभी निर्धारित शर्तें निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी शर्तों के अलावा बंधनकारी होगी।
11. निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा आवश्यकतानुसार निविदा शर्तों में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. निविदाकार/फर्म को अपनी निविदा दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा। काट-छाट अथवा ओव्हर राईटिंग की हुई अस्पष्ट निविदा अस्वीकार की जावेगी।
13. विज्ञापित कार्य (सामाग्रियों की आपूर्ति) के लिए सामाग्रीवार निविदा दरें शासन को देय समस्त करों तथा ट्रांसपोर्टिंग चार्जस सहित सामाग्रियों की सूची अनुसार उनकी निर्धारित ईकाई में यथा – प्रति हजार, प्रति नग, प्रति लीटर, प्रति किलो, प्रति पैकेट, प्रति बोरी, प्रति घन मीटर आदि में प्रस्तुत करना होगा।
14. निविदा दर प्रचलित बाजार दर से अत्याधिक कम प्राप्त होने पर शासन के प्रचलित नियमानुसार निर्धारित परफार्मेंस गारंटी राशि नियमानुसार एफ.डी.आर. के रूप में सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
15. कार्य (सामाग्रियों की आपूर्ति) के लिए जमा परफार्मेंस गारंटी राशि संतोषप्रद ढंग से कार्य सम्पादन/कार्य पूर्णता एवं अनुबंध की समाप्ति उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।
16. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

17. प्राप्त निविदायें खोलने, निविदायें लिस्टिंग किये जाने के उपरांत सफल निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष निविदाकारों की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. संतोषप्रद ढंग से कार्य सम्पादन एवं कार्यानुबंध समाप्ति/कार्य के अंतिम देयक भुगतान उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।
18. ठेकेदार को निविदा दर की स्वीकृति उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार 100.00 रुपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर में निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यानुबंध निष्पादन करना होगा। अन्यथा स्थिति में कार्य के लिए संबंधित ठेकेदार/फर्म की जमा अमानत राशि राजसात कर कार्य सम्पादन हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। कार्य (सामाग्रियों की आपूर्ति) के ठेका की अवधि अनुबंध तिथि से 01 वर्ष के लिए होगी, जिसमें विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
19. समय-समय पर कार्य की आवश्यकता, कार्य की स्वीकृति एवं राशि की उपलब्धता अनुसार विभिन्न विभागीय मरम्मत-संधारण तथा निर्माण कार्यों के लिए सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा, तथा राशि की उपलब्धता अनुसार प्रदायित सामाग्रियों के देयको का भुगतान किया जावेगा।
20. कार्यादेश उपरांत कार्यादेश में उल्लेखित समयावधि के भीतर निर्देशित स्थल में सामाग्रियों की आपूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा।
21. सभी स्थिति कार्यानुकूल होने के पश्चात् भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में सामाग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर पी.डब्ल्यू.डी. के प्रचलित नियमानुसार या अनुबंध शर्तों के अनुसार सामाग्री की कुल लागत का 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड/पेनाल्टी आरोपित कर, देयक से राशि कटौती किया जायेगा।
22. ठेकेदार/अनुबंधित एजेंसी द्वारा अनुबंध समाप्ति के पूर्व कार्य/ठेका छोड़े जाने की स्थिति में नियमानुसार ठेका/अनुबंध की शेष अवधि के लिए सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। पुनः निविदा से सामाग्री की लागत में होने वाली वृद्धि की वसूली नियमानुसार अनुबंधित एजेंसी से की जायेगी।
23. ठेकेदार/अनुबंधित एजेंसी को सामाग्रियों की आपूर्ति संबंधित साईट इंजीनियर के दिशा निर्देश में निविदा/अनुबंध शर्तों, निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार करना होगा। प्रदायित सामाग्री निर्धारित गुणवत्ता युक्त नहीं होने पर निगम द्वारा सामाग्री वापस कर दी जायेगी तथा इसके लिए ठेकेदार/अनुबंधित एजेंसी को नियमानुसार दण्डित किया जा सकेगा।
24. कार्यानुबंध/ठेका की अवधि में विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्य/निविदा की लागत में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
25. शासन से स्वीकृति/अनुदान प्राप्ति/राशि की उपलब्धता के अनुसार प्रदायित सामाग्रियों से संबंधित देयक का भुगतान किया जायेगा।
26. अनुबंधकर्ता ठेकेदार/एजेंसी को कार्य के संबंध में शासन के निर्धारित शर्तों, निविदा शर्तों, निविदा प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में निविदा/अनुबंध शर्तों के अनुसार निगम द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी। निविदा/सामाग्रियों की आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।